[2018] 11 एस. सी. आर 1

एन. राधाकृष्णन @राधाकृष्णन वारेनिकल

वी.

भारत और अन्य का संघ

(2018 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 904)

05 सितंबर, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

भारत का संविधान-Art.19 (2)-बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उचित प्रतिबंध लगाना-याचिकाकर्ता

'मीशा' नामक उपन्यास पर प्रतिबंध लगाने के लिए रिट जारी करने की मांग-आरोप कि उक्त साहित्यिक कृति अपमानजनक और अपमानजनक है मंदिर जाने वाली महिलाएं और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की क्षमता रखती हैं, शालीनता-आयोजितः अगर इस तरह के आरोपों पर किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है,

कोई रचनात्मकता नहीं हो सकती-संवैधानिक न्यायालयों द्वारा इस तरह के हस्तक्षेप से कला का अंत हो जाएगा एक लेखक द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, लेकिन कोई प्रतिबंध लगाने से पहले, न्यायालय का कर्तव्य यह देखना है कि क्या वास्तव में कुछ ऐसा है जो कला के दायरे में आता है। 19 (2) सृजनशीलता और ब्रह्मांड के बारे में लेखक की धारणा को ध्यान में रखा जाना चाहिए-इसे विशिष्टताओं के आगे झुकने के लिए नहीं कहा जा सकता है, अन्यथा यह थोपे जाने के समान होगा। - लेखक को शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से खेलना चाहिए-कल्पना की भावना को निर्देशित नहीं किया जा सकता है-अंतिम प्रकाशन कानून के विपरीत नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून की कठोरता के अनुप्रयोग को भी विभिन्न पहलुओं के लिए जीवित रहना चाहिए-तथ्यों पर, 'मीशा' का चरित्र जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, विभिन्न स्थितियों के साथ असंख्य अनुभवों को दर्शाता है-किसी भी दृष्टिकोण से सराहना की जाती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह है

रचनात्मकता की अभिव्यक्ति-इसे ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका खारिज कर दी गई।

रिट याचिका खारिज करते हुए, अदालत ने

पकड़नाः 1.1 साहित्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक है।

स्वयं को बहुआयामी तरीकों से। साहित्य पाठकों से जुड़ने के लिए एक माध्यम के रूप में तभी काम कर सकता है जब रचनात्मकता का दम घुटता या दम घुटता न हो। रचनात्मकता की धारा के मुक्त प्रवाह की कोई सीमा नहीं है और कल्पना की कोई सीमा नहीं है। एक लेखक या एक कलाकार या रचनात्मक क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को निर्बाध रूप से सोचना पड़ता है। उन जंजीरों से मुक्त होने का रास्ता जो उसके विचारों और अफवाहों में बाधा डाल सकते हैं। लेखकों को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है।

[2018] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विचार और कल्पना और पाठक भी अपने दृष्टिकोण से समझने और कल्पना करने की स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। कल्पना के बिना, सोचने की प्रक्रिया सशर्त होती है। [पारस 25,26] [14-ए-सी]

1.2 रचनात्मक आवाजों को दबाया या चुप नहीं किया जा सकता है और

बौद्धिक स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह खतरनाक है कि

स्वतंत्र भाषण, अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और कल्पना में बाधा डालना, क्योंकि यह साहित्यिक स्वतंत्रता के बौद्धिक दमन की स्थिति की ओर ले जाता है जिससे स्वतंत्र विचार और मानव की उपजाऊ क्षमताओं को अवरुद्ध किया जाता है। ध्यान दें और अंततः साहित्यिक द्वेष का मार्ग प्रशस्त करें। विचारों के पंख होते हैं। यदि विचारों और कल्पना के मुक्त प्रवाह के पंखों को काट दिया जाए, तो किसी भी कला का निर्माण नहीं किया जा सकता है। पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने की संस्कृति विचारों के मुक्त प्रवाह को सीधे प्रभावित करती है और यह अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अपमान है। कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष सेंसरशिप या पुस्तक पर प्रतिबंध, जब तक कि घोर अश्लीलता के लिए किसी भी समुदाय के लिए मानहानिकारक या अपमानजनक न हो, तब तक बुद्धिजीवियों के बीच अशांति और अशांति पैदा होगी।

जिसे लेखक का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है, क्योंकि यह लेखक की स्वतंत्र भावना को नष्ट कर देता है। लोग एक अधिनायकवादी शासन में नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में रहते हैं जो विचारों के स्वतंत्र आदान-प्रदान और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति देता है। यह केवल बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पवित्र सिद्धांतों की रक्षा करके या "जैसा आप चाहेंगे वैसा सोचने और जैसा आप बोलेंगे वैसा बोलने की स्वतंत्रता" शब्दों को उधार लेने के लिए है। "सोचिए" और रचनात्मक क्षेत्र में लेखकों, लेखकों, कलाकारों और व्यक्तियों की निरंकुश रचनात्मक भावना और कल्पना की रक्षा करके जिसे हमारे संवैधानिक आदर्शों के मूल सिद्धांतों के रूप में संरक्षित किया जा सकता है और एक लोकतांत्रिक समाज के रूप में परिपक्व किया जा सकता है जहां स्वतंत्रताएँ हैं

पढ़ना और लिखना मूल्यवान और पोषित है। [पैरा 27] [14-डी-एच; 15-ए] 1.3 उपरोक्त साहित्य और कला के पाठकों और प्रशंसकों से भी आह्वान करता है कि वे कुछ हद तक पालन का प्रदर्शन करें

परिपक्वता, मानवता और सहिष्णुता की अलिखित संहिताएँ ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोच्च हो और किसी भी तरह से बाधित न हो। लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता के आदर्शों का झंडा और स्वतंत्रता को हर कीमत पर ऊंचा रखा जाना चाहिए और न्यायपालिका को हर समय इस भावना के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए जब तक कि वे वास्तव में कानून में निषिद्ध के विपरीत न हों। और, अनावश्यक रूप से

इस बात पर जोर दें कि एन. राधाकृष्णन @राधाकृष्णन वारेनिकल बनाम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

बौद्धिक कायरता और बौद्धिक तिरस्कार के विपरीत। [पैरा 33] [19-जी-एच; 20-ए] 1.5 यह देखना न्यायालय का कर्तव्य है कि क्या इस तरह की बातचीत किसी भी प्रकार की कामुक स्थिति को जन्म देने के लिए की गई थी या नहीं।

सहिष्णुता और स्वीकार्यता की भावना वास्तविकता पर आधारित है जो अलग तरह से पेश की जाती है लेकिन विकृति के जुनूनी विचार के साथ नहीं जो तुरंत किसी को उपदेशवाद के जुनून या उस मामले के लिए, शुद्धतावादी दृष्टिकोण की धारणा से जोड़ती है। एक पाठक में स्थिति को समझने और चरित्र की सराहना करने की संवेदनशीलता होनी चाहिए और यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि जो कुछ भी लिखा गया है वह खराब स्वाद में है और जानबूझकर लोगों को प्रदूषित करने के लिए किया गया है। युवा दिमाग। इसके विपरीत, उसे खुद को ऊपर उठाना चाहिए /

स्वयं लेखक के साथ सह-वॉकर के रूप में जैसे कि सामाजिक संबंध और बौद्धिक जुड़ाव हो। गलत निर्णय लेने की भावना होनी चाहिए छोड़ दिया। एक रचनात्मक लेखन सहानुभूतिपूर्ण पढ़ने की अपेक्षा करता है। यह आलोचना के खिलाफ नहीं है लेकिन निश्चित रूप से बर्दाश्त नहीं करता है।

अनुचित विरोध। [पैरा 34] [20-बी-ई]

1.6 किसी को समझना और सराहना करनी होगी

चरित्र की विशेषताएँ और कथानक और उप-कथानक जो कहानी में बुने गए हैं। मीशा का चरित्र जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, विभिन्न स्थितियों के असंख्य अनुभवों को दर्शाता है। स्थितियों को कुछ उप-कथानकों के रूप में माना जा सकता है जो नायक की मौलिक विशेषताओं के इर्द-गिर्द विकसित हुए। ऐसा लगता है कि कुछ लेखकों द्वारा अपनाए गए चरित्र की स्थिरता के सिद्धांत को कथा में बनाए रखा गया है। स्थितियाँ और स्थितियों का उपचार अलग हो सकता है लेकिन [2018] 11 एस. सी. आर.

नायक की मूल प्रतिक्रिया अपरिवर्तित रहती है। ये सभी एक पाठक के दृष्टिकोण से हो सकते हैं। एक अन्य पाठक के लिए, यह प्रतीत हो सकता है कि उप-कथानक उत्साहपूर्वक किए गए हैं।

नायक की दुर्दशा या यह विचार व्यक्त करके खुद को दूर कर सकता है कि प्रक्षेपण अपमानजनक और हानिकारक है लोगों के एक वर्ग के लिए। वह उपन्यास को निंदनीय और अपमानजनक मानता है। न्यायालय को किसी भी प्रकार की धारणा से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

अभिव्यक्ति के एक विशेष तरीके के प्रति किसी को गंभीर नापसंद हो सकता है, लेकिन यह पुस्तक या प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने के लिए न्यायालय से आदेश जारी करने के लिए वारंट नहीं करेगा। भाषा.

कि यह मंदिर जाने वाली महिलाओं के लिए अपमानजनक और हानिकारक है, बिना मंदिर के एक अधिरचना को पिरामिड करने के समान होगा। बुनियादी ढांचा। [पैरा 35] [20-एफ-एच; 21-ए-सी]

1.7 यदि कोई घटनाओं और स्थितियों के माध्यम से चरित्र की प्रगति को समझता है, तो एक उत्सुक पाठक पाएगा कि

जटिल परिदृश्य में, हारने और जीतने का आग्रह होता है और इनकार को स्वीकार नहीं करना होता है। दोनों पहलू जुनून के दायरे में हैं और लेखक नायक को अपने ग्रह पर शासन करने की अनुमति देता है। बिनि।

कल्पना उसकी दुनिया को घेर लेती है। पाठक को उनकी प्रशंसा करने या सहानुभूति रखने की स्वतंत्रता है। किसी भी तरह से, जिस संवाद पर आपत्ति उठाई जाती है, वह सनसनी पैदा करने के लिए घुसपैठ नहीं है। यह पात्रों के प्रक्षेपण का एक पहलू है। एक विकृत पाठक शालीनता या नैतिकता की अनुपस्थिति या अश्लीलता की उपस्थिति की कल्पना कर सकता है लेकिन वे वास्तव में अदृश्य हैं। [पैरा 36] [21-डी-ई]

1.8 अगर इस तरह के आरोपों पर किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो कोई रचनात्मकता नहीं हो सकती। संवैधानिक अदालतों द्वारा इस तरह के हस्तक्षेप का कारण बनेगा

कला की मृत्यु। एक लेखक द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, लेकिन किसी भी प्रतिबंध को लागू करने से पहले, न्यायालय का कर्तव्य यह देखना है कि क्या वास्तव में कुछ ऐसा है जो अनुच्छेद 19 (2) के दायरे में आता है।

[पैरा 37] [21-एफ-जी] एन. राधाकृष्णन @राधाकृष्णन वारेनिकल बनाम। भारत का संघ

1.9 यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी पुस्तक को खंडित तरीके से नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इसे समग्र रूप से पढ़ना होगा। उपयोग की गई भाषा, विकसित विचार, अपनाई गई शैली, जिस तरह से पात्रों को चित्रित किया गया है, चित्रण के लिए सहायता के लिए ली गई कल्पना का प्रकार, विषयगत सहायक अवधारणाओं को प्रस्तुत किया गया है और स्थितियों के चित्रण की प्रकृति को एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से समझना होगा। किसी पुस्तक के मूल्य और मूल्यांकन के संबंध में व्यक्तिपरक धारणा हो सकती है लेकिन उक्त व्यक्तिपरकता को सेंसरशिप या किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [पैरा 38] [22-सी]

1.10 ब्रह्मांड के बारे में रचनात्मकता और लेखक की धारणा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कविता के लिए जो सच है वह उपन्यासों या किसी भी रचनात्मक लेखन पर लागू होता है। यह ध्यान में रखना होगा कि एक लेखक की कल्पना को स्वतंत्रता का आनंद लेना है। इसे विशिष्टताओं के आगे झुकने के लिए नहीं कहा जा सकता है। यह थोपे जाने के समान होगा। एक लेखक को शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से खेलना चाहिए, जैसे एक चित्रकार के पास रंगों के साथ होता है। कल्पना के जुनून को निर्देशित नहीं किया जा सकता है। यह सच है कि अंतिम प्रकाशन कानून के विपरीत नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून की कठोरता के अनुप्रयोग को भी विभिन्न पहलुओं के लिए जीवित रहना होगा। एक लेखक की शिल्प कौशल उद्देश्य की अवधारणा को स्वीकार करके सम्मान की हकदार है।

बोधगम्यता। [पैरा 39] [22-डी-एफ]

देवीदास रामचंद्र तुलजापुरकर बनाम। की स्थिति महाराष्ट्र और अन्य (2015) 6 एससीसी 1: [2015] 7 एस. सी. आर. 853; राज कपूर और अन्य बनाम। राज्य और अन्य (1980) 1 एस. सी. सी. 43: [1980] 1 एस. सी. आर. 1081; समरेश बोस और एक अन्य वी. अमल मित्रा और दूसरा (1985) 4 एस. सी. सी. 289: [1985] 3 पूरक। एस. सी. आर. 17; बॉबी आर्ट इंटरनेशनल और अन्य बनाम। ओम पाल सिंह हून और अन्य (1996) 4 एस. सी. सी. 1 [1996] 2 पूरक। एससीआर 136; वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (2018) 1 एस. सी. सी. 761: नचिकेता वल्हेकर बनाम। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (2018) 1 एस. सी. सी. 778; आदर्श सहकारी आवास सोसायटी लिमिटेड v. भारत संघ और अन्य 2018 (4) स्केल 390; एस. रंगराजन बनाम। पी.

जगजीवन राम और अन्य (1989) 2 एससीसी 574: [1989]

2 एस. सी. आर. 204-संदर्भित।

[201

8] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[2015] 7 एससीआर 853

पै

रा 2

संदर्भित किया गया है

[1980] 1 एससीआर 1081

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[1985] 3 पूरक। एससीआर 17

संदर्भित किया गया है

पै

रा 29

[1996] 2 पूरक। एससीआर 136

पै

रा 30

संदर्भित किया गया है

(2018) 1 एस. सी. सी. 761

पै

रा 31

संदर्भित किया गया है

(2018) 1 एस. सी. सी. 778

पै

रा 31

संदर्भित किया गया है

2018 (4) स्केल 390

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

[1989] 2 एससीआर 204

पै

रा 37

संदर्भित किया गया है

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं।

904 2018 से।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत। सुश्री पिंकी आनंद, एएसजी, जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। गोपाल

शंकरनारायणन, सुश्री उषा नंदिनी। वी, सुश्री बीना माधवन, टॉम जोसेफ, सुश्री सौदामिनी शर्मा, सुश्री कीर्ति दुआ, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, एम. टी. जॉर्ज, अनिल प्रताप, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था दीपक मिश्रा, सीजेआई 1. एक लेखक या एक लेखक, एक का चयन करते समय

अभिव्यक्ति का तरीका, चाहे वह उपन्यास हो या उपन्यास, महाकाव्य हो या कविताओं का संकलन, नाटक हो या प्लेलेट, लघु कथा हो या लंबा, निबंध हो या वर्णन का कथन हो या उस मामले में कोई अन्य रूप हो, उसे अपनी स्वतंत्रता का पूरी तरह से प्रयोग करने का अधिकार है, जब तक कि वह किसी भी निर्धारित कानून की अवहेलना नहीं करता है जो संवैधानिक रूप से मान्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक सभ्य समाज के लिए बेहद प्रिय है। यह इसे अपने दिल के करीब रखता है और उक्त स्वतंत्रता में थोड़ी सी भी अवतलता पैदा करने के लिए उठाए गए किसी भी कदम को घृणित रूप से देखेगा। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि हम इस रिट याचिका में हैं, जिसे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्राथमिकता दी गई है, जो रचनात्मकता और इसके प्रभाव से संबंधित है और इस आधार पर एक पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की प्रार्थना पर विचार कर रहे हैं कि इसका एक हिस्सा अभद्र है और एक विशेष धर्म की महिलाओं की भावनाओं को आहत करता है। यह कहने के बाद, हम दो अधिकारियों का उल्लेख करना चाहेंगे जो रचनात्मकता के महत्व और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं और कैसे व्यावहारिक राधाकृष्णन @राधाकृष्णन वी.

भारत संघ [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

एम सभ्यता के रूप में उक्त रचनात्मक स्वतंत्रता का आश्वासन देता है, जो निर्विवाद रूप से आक्रामक है, जो इसके उच्चारण के लिए अनुभव और उत्सुकता से इच्छा रखता है।

पोषण और निरंतर पालन-पोषण। ऐसा इसलिए है क्योंकि

लेखक के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन एक मुद्दा है -हम चिंतित हैं।

2. देवीदास रामचंद्र तुलजापुरकर बनाम। की स्थिति

राष्ट्र और अन्य 1, न्यायालय, के अर्थ से संबंधित

एस "काव्यात्मक लाइसेंस" में कहा गया हैः

" ..... इसका मतलब कभी भी उपयोग किए गए या समझे गए लाइसेंस से नहीं हो सकता है।

कानून की भाषा में। कवि को लाइसेंस देने का कोई अधिकार नहीं है। ये साहित्य के क्षेत्र के शब्द हैं। कवि अपनी खुद की स्वतंत्रता ग्रहण करता है जिसकी उसे अनुमति है

कविता की मौलिक अवधारणा। वह वास्तविकता से अलग होने के लिए स्वतंत्र है; व्याकरण से दूर उड़ता है; व्यवस्थित मीटर का पालन न करके महिमा में चलता है; अपनी इच्छा से सिक्के के शब्द; विचारों या विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए पुरातन शब्दों का उपयोग करता है; मिथकों से परे विचारों को छिपाता है जो बिल्कुल अवास्तविक हो सकते हैं; पूरी तरह से एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जहां न तो कविता और न ही लय प्रबल हो; व्यंग्य, इफ़ेरिज़्म, कुख्यात रिपार्टियों में गंभीर विचारों को डाल सकता है; अपनी शैली में समानताओं, रूपकों, उपमाओं की सहायता ले सकता है, "जीवन की तुलना सैंडविच से कर सकता है जो उपभोग किया जाता है।

आलंकारिक सत्यवाद का क्षेत्र; "समानता के लिए सार्वभौमिक दृष्टि" में तल्लीन हो जाएँ, और कोई भी आलोचनात्मक लेखन के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। अपने तरीके से और अपनी समझ के अनुसार प्रशंसा करें। जब एक कवि कहता है कि "मैंने कल रात अनंत काल देखा", तो कोई भी पाठक "अनंत काल" शब्द को उसके गद्यात्मक अर्थ में नहीं समझ पाएगा। हैमलेटियन प्रश्न की कई परतें हैं; प्रत्येक एक अर्थ प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है; चाहे वह पारंपरिक हो या आधुनिक या व्यक्तिवादी। एक नाटककार या कवि या लेखक को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए लिखने से कोई नहीं रोक सकता है, और इसी तरह आलोचकों को अपनी टिप्पणियों को देने से कोई नहीं रोक सकता है। शास्त्रीय पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है और कोई व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर सोच सकता है या रोमांटिकवाद पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जैसा कि कीट्स, बायरन या शेली की कविताओं में समझा जाता है या कोई व्यक्ति प्रकृति पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और विलियम वड्र्सवर्थ जैसी कविताएँ लिख सकता है जिनकी कविताएँ, कुछ कहते हैं, उपदेशात्मक हैं। यह भी हो सकता है

अलेक्जेंडर पोप या ड्राइडन की तरह रचना करने का साहस करें या इसमें शामिल हों

व्यक्तिगत आधुनिकतावाद जैसे एजरा पाउंड, टी. एस. एलियट या पाब्लो नेरुदा।

मौलिक रूप से काव्य लाइसेंस का यही अर्थ है।

3. राज कपूर और अन्य बनाम। राज्य और अन्य 2, कृष्ण अय्यर,

शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए खुद के लिए प्रयास करना

फिल्म के निर्माण के लिए याचिकाकर्ता, अर्थात्,

आम, शिवम, सुंदरम 'ने कहाः

" 12. ..... न्यायिक रूप से, कानून, आदेश के अर्थ में

करना या न करना, समुदाय की संस्कृति का प्रतिबिंब होना चाहिए।

मानकों, सौंदर्य अभिव्यक्ति के राज्य के रेजिमेंट नहीं या कलात्मक रचना। यहाँ हम श्रेष्ठतम न्यायशास्त्र का अनुभव करेंगे।

धर्म का मूल्य, जो स्थायी भावना का एक सुंदर मिश्रण है

नैतिकता, सही आचरण, समाज की प्रबुद्ध सर्वसम्मति और

सकारात्मक कानून के विरुद्ध इस प्रकार बुने गए मानदंडों का बाध्यकारी बल

लेकिन कानून और अदालत द्वारा मापी जाने वाली नैतिकता जोखिम भरी कार्रवाई है। मौलिक स्वतंत्रताओं पर उल्लेखनीय प्रभाव के साथ, और हमारे

संवैधानिक व्यवस्था मूल सिद्धांत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और

सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या मर्यादाओं के साथ इसका उचित नियंत्रण

नैतिकता '। यहाँ, सामाजिक गतिशीलता कानूनी गतिशीलता का मार्गदर्शन करती है

'पुलिसिंग' कला रूपों का प्रांत।

[जोर दिया गया]

" 15. ..... वास्तविकता और सापेक्षता के बीच संबंध होना चाहिए समाज में व्यक्त अश्लीलता के न्यायालय के मूल्यांकन को परेशान करता है

व्यापक मानवता, न कि कानून के दंडात्मक निर्देश। समाजशास्त्री

और आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यापक रूप से इस बात से सहमत होंगे कि मनुष्य अकेला नहीं रहता है।

रहस्यवादी झुनझुनी, तपस्वी मंत्रों और कठोर त्याग द्वारा लेकिन

सुंदरता का मधुर प्रेम, साहचर्य का कामुक आनंद और

मांस की सामान्य मांगों का मध्यम गैर-इनकार। अतिवाद।

निर्देशक ऑस्कर वाइल्ड के अवलोकन का अभ्यास करते हैं: ' मॉडरेशन एक है घातक चीज़। अति से बढ़कर कुछ भी सफल नहीं होता।

16. ये सभी एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अंतिमता और अचूकता

वे अदालतों से परे हैं जिन्हें कानून की व्याख्या और प्रशासन करना चाहिए।

(0) 1 एस. सी. सी. 43 एन. राधाकृष्णन @राधाकृष्णन वारेनिकल बनाम। भारत संघ [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

रोमांटिक आदर्शवाद या एकांतवाद के बजाय व्यावहारिक यथार्थवाद के साथ चरमपंथ "।

[जोर दिया गया]

5. हमने शुरुआत में उपरोक्त निर्णयों का उल्लेख इस प्रकार किया है -

हम "व्यावहारिक यथार्थवाद" की कसौटी पर निर्णय लेने का इरादा रखते हैं। जब हम "व्यावहारिक यथार्थवाद" कहते हैं, तो इसे रचनात्मकता के संदर्भ में समझना होगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत पसंद की गई वर्तमान रिट याचिका उपन्यास पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक उचित रिट जारी करने की मांग करती है, जिसका नाम है, "मीशा" जिसका अर्थ मूंछ है जो एक लोकप्रिय मलयालम साप्ताहिक, "मातृभूमि" में प्रकाशित हुआ, जो कोज़ीखोडे, केरल से प्रकाशित हुआ और पूरे देश और विदेश में प्रसारित हुआ।

6. याचिकाकर्ता का कहना है कि उक्त साहित्यिक कृति है -

मंदिर जाने वाली महिलाओं के लिए अपमानजनक और अपमानजनक और यह भावनाओं को आहत करता है

किसी विशेष आस्था/समुदाय का। यह भी कहा जाता है कि 'मातृभूमि' में प्रकाशित पुस्तक 'मीशा' का हिस्सा मंदिर जाने वाली महिलाओं को गलत तरीके से दिखाता है और इसका समुदाय पर परेशान करने वाला प्रभाव पड़ता है।

7. यह तर्क दिया जाता है कि 'मातृभूमि' का संपादक इसमें विफल रहा है

पुस्तक 'मीशा' के हिस्से का संपादन या जांच न करके उनका कर्तव्य जो साप्ताहिक में प्रकाशित हुआ था। याचिकाकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि उसने महिला समुदाय के वैध हितों की सुरक्षा के लिए अकेले इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि 'मातृभूमि' में दिखाई देने वाले ऐसे लेखन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं हैं, बल्कि समाज को विभाजित करने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयास हैं, क्योंकि इस तरह के आरोप महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण हैं और समाज के ताने-बाने के लिए खतरा हैं जो अपने आप में बहुलवादी समुदाय, धर्म और लिंग संतुलन के गुणों का प्रतीक है। याचिकाकर्ता का कहना है कि विकृत और सांप्रदायिक दिमागों की जरूरतों को पूरा करने वाले मानहानिकारक और अपमानजनक प्रकाशनों की शुरुआत में ही जांच की जानी चाहिए क्योंकि वे आम जनता को महिला समुदाय को केवल यौन और भौतिक वस्तुओं के रूप में देखने के लिए प्रेरित करते हैं, जो बदले में महिला समुदाय को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करता है और

उनकी सुरक्षा और कल्याण को खतरे में डालता है।

8. याचिकाकर्ता द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपित दोषी है

'मातृभूमि' में दिखाई देने वाली सामग्री पूजा स्थलों को अपवित्र करती है और जनता को तिरस्कार और उपहास के साथ उन्हें नीचा दिखाने का कारण बनती है, जबकि शरीर और मन की शुद्धता के साथ मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करना हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. यह आग्रह किया जाता है कि 'मातृभूमि' में उक्त प्रकाशन में सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता को बिगाड़ने की प्रवृत्ति और क्षमता है और यह महिला समुदाय को बदनाम करता है, ये सभी राज्य के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर अनुच्छेद 19 (2) के तहत उचित प्रतिबंध लगाने का आधार हैं। अपने रुख को मजबूत करने के लिए, याचिकाकर्ता ने कहा है कि आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन के बाद, मंदिरों में जाने वाली महिलाओं को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से उपहास और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और इस तरह के उदाहरणों से महिलाओं की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और सशक्तिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

10. याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि यदि साहित्य के इस तरह के काम पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो यह हमारे देश में 'चार्ली हेब्दो' जैसी प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है और इसलिए, इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वे ऐसे लोगों को विनियमित करने और प्रतिबंधित करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करें, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों प्लेटफार्मों पर इस तरह के असंवेदनशील प्रकाशन को नियंत्रित/प्रबंधित/प्रकाशित करते हैं।

आपराधिक और मानहानिकारक लेख जो देश में विभिन्न समुदायों और धर्मों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बाधित कर सकते हैं।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह प्रत्यर्थी संख्या 1, भारत संघ, प्रत्यर्थी संख्या 2, केरल राज्य और 'मातृभूमि' साप्ताहिक के मुख्य संपादक, प्रत्यर्थी संख्या 4 को सभी राज्यों से 'मातृभूमि' साप्ताहिक खंड-2 की सभी प्रतियों की तलाशी लेने और उन्हें जब्त करने और/या निषेध का एक रिट या कोई अन्य रिट/निर्देश जारी करे।

समाज की अखंडता और महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने की प्रवृत्ति। 12. यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि जब रिट याचिका को 02.08.2018 पर सूचीबद्ध किया गया था, तो इस न्यायालय ने नोटिस जारी करने से पहले इसे उचित समझा -

उसी तारीख को एक आदेश पारित करें जो इस प्रकार हैः

" विद्वान वकील श्री एम. टी. जॉर्ज पाँच दिनों के भीतर पुस्तक का केंद्रीय विषय और तीन अध्याय, जो एक साप्ताहिक समाचार पत्र, अर्थात् मातृभूमि में प्रकाशित हुए हैं, दाखिल करेंगे। ”

एन. राधाकृष्णन @राधाकृष्णन वारेनिकल बनाम। भारत संघ [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

13. इस न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, श्री एम. टी. जॉर्ज, के मुख्य संपादक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

15. जैसे-जैसे वर्णन आगे बढ़ता है, वावचन अपने परिवार के साथ लगातार भूख से जी रहा था। एक दिन, एक रंगमंच समूह मालाबार से उनके गाँव आता है। थिएटर समूह के मालिक को एक पुलिसकर्मी की भूमिका निभाने के लिए एक बड़ी और क्रूर मूंछ वाले अभिनेता की आवश्यकता होती है। लेकिन गाँव में कोई भी ऐसा नहीं था जो बड़ी मूंछें पहने हुए हो क्योंकि इसे विशेष रूप से निचली जातियों के बीच अवज्ञा का कार्य माना जाता था। थिएटर समूह के मालिक की मुलाकात वावचन से होती है जिसने अपने जीवन में कभी मुंडन नहीं किया था और घने बाल और दाढ़ी रखी थी। मालिक ने दिया वावचन एक मुंडन उपचार, अर्थात, उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया लेकिन एक उग्र मूंछ (मीशा) को रहने दिया। इसके बाद, वावचन को मंच पर रखा गया जहां उन्हें केवल दो बार खून से लथपथ 'दा' (आप) चिल्लाना पड़ता है।

16. जवाब में, लोग डर गए और घटनास्थल से भाग गए और वावचन की मूंछें, जिसे उन्होंने मुंडन कराने के बाद भी उतारने से इनकार कर दिया

शो, एक कुख्यात किंवदंती बन गया। वावचन की मूंछ से नाराज उच्च जाति के लोगों ने उसे हर तरह के अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया, भले ही वह निर्दोष था और बस मलाया जाना चाहता था और [2018] 11 एस. सी. आर. से शादी करना चाहता था।

वह लड़की, सीता, जिसने उसे तब चकाचौंध कर दिया था जब वह छोटा था और जिसे उसने अर्ध-नग्न देखा था।

17. जब अकाल और भूख की अवधि आई, तो वावचन अपने पीछे हथियारबंद लोगों के साथ अपने गाँव से भाग गया और खेतों में छिप गया।

कुट्टानाडन जहाँ भूलभुलैया नहरों और दलदल में केवल खेती के मौसम के दौरान मानव उपस्थिति देखी जाती थी। धीरे-धीरे, समय बीतने के साथ, वावचन कुट्टानदन वातावरण में डूब गए जहाँ उन्होंने

लोगों के बीच निहित मिथकों, किंवदंतियों, लोककथाओं और अंधविश्वासों का सामना करना पड़ा।

18. पावियम और चेल्ला, वावचन के माता-पिता, उसे देखे बिना ही मर जाते हैं। लेकिन चेल्ला की मृत्यु के बाद, वह अपने पैतृक गांव लौटता है और कलान से एक किताब लेकर भाग जाता है और उसे पूरी तरह से पढ़ लेता है। (मीशा) वावचन उर्फ मूंछ की कहानियाँ इस क्षेत्र की अवचेतनता में अंकित हो जाती हैं। मूंछें सुपर प्राकृतिक शक्तियों के साथ स्वयं एक किंवदंती बन जाती हैं। जमींदारों और सरकार को डर हो जाता है कि मीशा की गतिविधियों से कुट्टनादन में खेती की गतिविधियों को नुकसान पहुंचेगा और वे थानू लिंगा नादर नामक एक प्रसिद्ध उप-निरीक्षक को तैनात करते हैं। मीशा से निपटें। हालाँकि, उस समय, कुट्टानाडन ने एक बाढ़ देखी और नादर की रहस्यमय मृत्यु ने मीशा के आतंक को बढ़ा दिया। इसके बाद, मीशा करुमथारा इट्टीचन नामक एक स्थानीय शक्तिशाली व्यक्ति के साथ झगड़ा करती है और अफवाहें उड़ती हैं कि मीशा इट्टीचन के साथ लड़ाई में मारी गई थी।

19. लेकिन मीशा एक महत्वपूर्ण स्थान कुमारकोम पहुँच गई थी।

उत्तरी कुट्टनादन, जहाँ ब्रेनन सायिप (साहेब) नामक एक अंग्रेज ने कुट्टनादन के खेतों से पानी निकालने के लिए एक मशीन लगाई थी। मशीन के रहस्य का खुलासा करने से इनकार करते हुए, ब्रेनन साहब लोगों से भारी मात्रा में शुल्क लेते हैं। अवाराचन, विज्ञान में रुचि रखने वाला व्यक्ति, मीशा की मदद से रहस्य चुराने में कामयाब हो जाता है। मीशा काम करती है

बेकर सायिप की मदद से जिनके पास विशाल क्षेत्र हैं और वे इस क्षेत्र में मिशनरी कार्य भी करते हैं। वहाँ मीशा की दोस्ती औसेफ नामक एक मछुआरे से होती है, जो बेकर सयीप के पिता से एक मलयाली महिला से पैदा हुआ था।

20. बेकर सायिप एक प्रसिद्ध मगरमच्छ शिकारी हैं जो वेम्बनाड झील में मगरमच्छों के विलुप्त होने के लिए जाने जाते थे।

हालाँकि, अंतिम मगरमच्छ बदला लेने के लिए बेकर के पीछे है। अंत में, यह मीशा है जो मगरमच्छ पर विजय प्राप्त करती है और मीशा की इस उपलब्धि के कारण, बेकर सायिप उसका कट्टर विरोधी बन जाता है। जब मीशा को पता चलता है कि बेकर उसके खिलाफ हो गया है, तो वह औसेफ के साथ वहाँ से भाग जाता है।

एन. राधाकृष्णन @राधाकृष्णन वारेनिकल बनाम। भारत संघ [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

21. इसके बाद, मीशा की मुलाकात एक वेश्या, कुट्टथी से होती है, जिसने मीशा के रोमांच के बारे में सुना था। एक कुंजाचन का पुत्र

झील क्षेत्र का मालिक कुट्टथी को परेशान करता है और उसके लिए एक बड़ी परेशानी है। मीशा कुंजचन को भी फटकार लगाती है। बदले में, कुट्टथी, एक नारायणन की सहायता से, जो मूंछ भी रखता है, मीशा को अपनी बचपन की क्रश सीता को खोजने में मदद करता है। मीशा सीता को कट्टा पुलवन नामक डाकू से बचाती है। इसके बाद, मीशा सीता को अपने साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन सीता तैयार नहीं होती है और खुद को मीशा के अधीन करने से इनकार कर देती है।

22. इस प्रकार, वावचन उर्फ मीशा, जो सभी को हराने में सक्षम है

जीवन में, अंत में एक महिला से हार जाता है।

23. वर्तमान में, हम "मीशा" पुस्तक के उस संवाद का उल्लेख और उद्धरण कर सकते हैं जिसने याचिकाकर्ता को तत्काल रिट याचिका में इस न्यायालय का रुख करने के लिए प्रेरित किया है। प्रस्तुत किए गए तीन अध्यायों की अनुवादित प्रति में से संवाद का अंग्रेजी अनुवाद पृष्ठ छत्तीस पर दिखाई देता है।

श्री एम. टी. जॉर्ज द्वारा, साप्ताहिक 'मातृभूमि' के मुख्य संपादक, प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील। वह इस प्रकार हैः

" जब वे मंदिर जाती हैं तो ये लड़कियाँ क्यों स्नान करती हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ पहनती हैं? एक दोस्त जो सुबह की सैर में शामिल होता था

छह महीने पहले एक बार पूछा था।

" प्रार्थना करने के लिए ", मैंने कहा।

" "नहीं", उसने कहा। ध्यान से देखें, उन्हें प्रार्थना करने के लिए सबसे सुंदर तरीके से अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनने की आवश्यकता क्यों है? वे अनजाने में घोषणा कर रहे हैं कि वे सेक्स में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं ", उन्होंने कहा। आई. हँस पड़े।

" अन्यथा ", उन्होंने आगे कहा", वे महीने में चार या पाँच दिन मंदिर क्यों नहीं आते? वे लोगों को बता रहे हैं कि वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। विशेष रूप से, उन थिरुमेनी लोगों को सूचित करना

(ब्राह्मण पुजारी) मंदिर में। क्या वे स्वामी नहीं थे?

ये अतीत की बातें हैं? "

24. प्राथमिक मुद्दा जो विचार के लिए उभरता है वह यह है कि क्या पुस्तक 'मीशा' का उपरोक्त हिस्सा, जिसे याचिकाकर्ता महिला समुदाय के लिए अपमानजनक बताता है, इस परिमाण का एक विचलन है जिसके लिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

कि इसमें सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता को बाधित करने की क्षमता है और क्या यह महिला समुदाय को बदनाम करता है, और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत उचित प्रतिबंध लगाने को आमंत्रित करता है।

26. साहित्य पाठकों से जुड़ने के लिए एक माध्यम के रूप में तभी काम कर सकता है जब रचनात्मकता का दम घुटता या दम घुटता न हो। धारा का मुक्त प्रवाह रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है और कल्पना की कोई सीमा नहीं है। एक लेखक या एक कलाकार या रचनात्मक क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को उन बंधनों से मुक्त तरीके से सोचना पड़ता है जो उसके विचारों और अफवाहों में बाधा डाल सकते हैं। लेखकों को अपने विचार और कल्पना व्यक्त करने की स्वतंत्रता है और पाठकों को भी अपने दृष्टिकोण से समझने और कल्पना करने की स्वतंत्रता है। कल्पना के बिना, सोचने की प्रक्रिया

वातानुकूलित है।

27. रचनात्मक आवाजों को दबाया या चुप नहीं किया जा सकता है और बौद्धिक स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्र भाषण, अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और कल्पना में बाधा डालना खतरनाक है, क्योंकि यह साहित्यिक स्वतंत्रता के बौद्धिक दमन की स्थिति की ओर ले जाता है जिससे स्वतंत्र विचार और रचनात्मकता बाधित होती है।

मानव मस्तिष्क की उर्वर क्षमताएँ और अंततः साहित्यिक तिरस्कार का मार्ग प्रशस्त करती हैं। विचारों के पंख होते हैं। यदि विचारों और कल्पना के मुक्त प्रवाह के पंखों को काट दिया जाए, तो किसी भी कला का निर्माण नहीं किया जा सकता है। पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने की संस्कृति विचारों के मुक्त प्रवाह को सीधे प्रभावित करती है और यह अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अपमान है। कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष सेंसरशिप या पुस्तक पर प्रतिबंध, जब तक कि घोर अश्लीलता के लिए किसी भी समुदाय के लिए मानहानिकारक या अपमानजनक न हो, बौद्धिक सीमा से परे जाकर बुद्धिजीवियों के बीच अशांति और अशांति पैदा करेगा।

सहिष्णुता और आगे बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करना जिसके परिणामस्वरूप धीरे-धीरे "बौद्धिक कायरता" होती है जिसे एक लेखक का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है, क्योंकि यह लेखक की स्वतंत्र भावना को नष्ट कर देता है। यह असंतोष की एक ठंडी सर्दी को आमंत्रित करेगा। हमें याद रखना चाहिए कि हम एक अधिनायकवादी शासन में नहीं बल्कि एक ऐसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में रहते हैं जो विचारों के स्वतंत्र आदान-प्रदान और विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पवित्र सिद्धांतों की रक्षा करके या न्यायमूर्ति लुई ब्रांडेस के शब्दों को उधार लेकर, "जैसा आप सोचेंगे वैसा सोचने और जैसा आप सोचेंगे वैसा बोलने की स्वतंत्रता" और रचनात्मक क्षेत्र में लेखकों, लेखकों, कलाकारों और व्यक्तियों की निरंकुश रचनात्मक भावना और कल्पना की रक्षा करके ही हम अपने संवैधानिक एन. राधाकृष्णन @राधाकृष्णन वारेनिकल बनाम के बुनियादी सिद्धांतों को संरक्षित कर सकते हैं।

आदर्श और एक लोकतांत्रिक समाज के रूप में परिपक्व जहाँ पढ़ने और लिखने की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है और पोषित किया जाता है। 28. उपरोक्त में साहित्य और कला के पाठकों और प्रशंसकों से यह भी आह्वान किया गया है कि वे परिपक्वता, मानवता और सहिष्णुता की अलिखित संहिताओं का कुछ हद तक पालन करें ताकि लोगों को स्वतंत्रता मिल सके।

अभिव्यक्ति सर्वोच्च है और किसी भी तरह से बाधित नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के आदर्शों के झंडे को हर कीमत पर ऊंचा रखा जाना चाहिए और न्यायपालिका को हर समय इस भावना के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए जब तक कि वे वास्तव में और हमारा मतलब है, वास्तव में शब्द के वास्तविक अर्थ में, कानून में निषिद्ध के विपरीत न हों। और, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि निषेध को किसी की कल्पना या दृष्टिकोण या धारणा पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 29. समरेश बोस में और एक अन्य वी। अमल मित्रा और अन्य 3, इस अदालत के समक्ष जो सवाल उठा वह यह था कि क्या अभियुक्त व्यक्तियों ने आई. पी. सी. की धारा 292 के तहत अपराध किया था। उक्त मामले में, एक लेखक ने 'प्रजापति' शीर्षक के तहत एक उपन्यास लिखा था जो 'सरोदिया देश' में प्रकाशित हुआ था। निचली अदालत के समक्ष तर्क यह था कि उपन्यास अश्लील था और दोनों आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् लेखक और प्रकाशक ने इसे बेचा, वितरित किया, मुद्रित किया और प्रदर्शित किया था। मुकदमे का सामना करने वाले अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया। उच्च न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी। इस न्यायालय ने किसी भी पुस्तक, कहानी या लेख में अश्लीलता के प्रश्न पर निर्णय लेने के उद्देश्य से इस मुद्दे पर विचार करते हुए राय दीः

" 29. ..... अदालत का निर्णय अनिवार्य रूप से समग्र रूप से पुस्तक या कहानी या लेख के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर और पुस्तक, कहानी या लेख में शिकायत किए गए अंशों के विशेष संदर्भ के साथ होना चाहिए। अदालत को उस मामले के बारे में समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिसकी शिकायत पूरे कार्य की स्थापना में अश्लील के रूप में की गई है, लेकिन अश्लील के रूप में आरोपित मामले पर भी स्वयं और अलग से विचार किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह इतना स्थूल है और इसकी अश्लीलता इतनी स्पष्ट है कि यह उन लोगों को भ्रष्ट और भ्रष्ट करने की संभावना है जिनके दिमाग इस तरह के प्रभाव के लिए खुले हैं और जिनके हाथों में पुस्तक गिरने की संभावना है। यद्यपि न्यायालय को प्रश्न पर खुले दिमाग से विचार करना चाहिए, फिर भी वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के मामले में मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का व्यक्तिपरक रवैया प्रभावित होने की संभावना है, भले ही अनजाने में,

3 3 (1985) 4 एस. सी. सी. 289 [2018] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसका मन और सवाल पर उसका निर्णय। शुद्धतावादी और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण वाला न्यायाधीश किसी भी पुस्तक या कहानी या लेख के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के आधार पर उसे अश्लील मान सकता है। यह संभव है कि एक अलग तरह के दृष्टिकोण वाला कोई अन्य न्यायाधीश उसी पुस्तक के अपने वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर उसी पुस्तक को अश्लील न माने। अश्लीलता की अवधारणा को उन लोगों के सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत हद तक ढाला जाता है जिनसे आम तौर पर पुस्तक पढ़ने की उम्मीद की जाती है। यह विवाद से परे है कि अश्लीलता की अवधारणा आमतौर पर विभिन्न देशों में समकालीन समाज की नैतिकता के मानकों के आधार पर देश-दर-देश भिन्न होती है। हमारी राय में, अश्लीलता के प्रश्न का निर्णय करते समय, न्यायाधीश को सबसे पहले खुद को लेखक के पद पर रखने की कोशिश करनी चाहिए और लेखक के दृष्टिकोण से न्यायाधीश को यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि लेखक क्या चाहता है। यह बताता है कि क्या लेखक जो बताता है उसका कोई साहित्यिक और कलात्मक मूल्य है। इसके बाद न्यायाधीश को खुद को हर आयु वर्ग के एक पाठक के पद पर रखना चाहिए जिसके हाथों में पुस्तक के गिरने की संभावना है और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि पाठकों के दिमाग में पुस्तक का किस तरह का संभावित प्रभाव होने की संभावना है। ..... "

न्यायालय ने उपन्यास की कहानी का आगे विश्लेषण करते हुए कहा

" 35. ..... अगर हम खुद को पाठकों की स्थिति में रखते हैं, जो इस पुस्तक को पढ़ने की संभावना रखते हैं-और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाठकों के इस वर्ग में शायद किशोरों और वृद्धों के बीच सभी लिंगों और सभी उम्र के पाठक होंगे-तो हमें लगता है कि पाठक एक वर्ग के रूप में पुस्तक को सदमे और घृणा की भावना के साथ पढ़ेंगे, और हमें नहीं लगता कि इस पुस्तक को पढ़ने पर कोई भी पाठक भ्रष्ट, अपमानित और कामुकता के लिए प्रोत्साहित होगा। यह बहुत संभव है कि वे ऐसे पात्रों और इस तरह के पात्रों से मिलते हैं। जीवन में परिस्थितियाँ और उनका सामना किया है या जीवन में उनका सामना करना पड़ सकता है। बहुत चिंतित विचार पर और उपन्यास का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने में अपने न्यायिक दिमाग को सावधानीपूर्वक लागू करने के बाद हम नहीं सोचते कि यह किसी भी आश्वासन के साथ कहा जा सकता है कि उपन्यास केवल इसलिए अश्लील है क्योंकि पुस्तक में अशिष्ट और अपरंपरागत शब्दों का उपयोग किया गया है जिसमें लिंग और महिला शरीर के वर्णन पर जोर दिया गया है और भावनाओं, विचारों और कार्यों का वर्णन अश्लील भाषा में किया गया है।

कुछ भाग एन. राधाकृष्णन @राधाकृष्णन वारेनिकल बनाम। भारत संघ [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

पुस्तक के अश्लील और सुसंस्कृत के पाठक प्रतीत हो सकते हैं और

परिष्कृत स्वाद हैरान और घृणित महसूस कर सकता है। समान रूप से कुछ भागों में, उपयोग किए गए शब्द और दिए गए विवरण प्रतीत नहीं हो सकते हैं उचित स्वाद में रहें। कुछ स्थानों पर खराब स्वाद की प्रदर्शनी हो सकती है जो इसे अनुभव के पाठकों पर छोड़ देती है और

आवश्यक निष्कर्ष निकालने के लिए परिपक्वता लेकिन निश्चित रूप से किशोरों को किसी भी सुझाव को घर लाने के लिए पर्याप्त नहीं है जो अपमानजनक है

या कामुक "।

30. इस संबंध में, हम घोषणा को लाभ के साथ संदर्भित कर सकते हैं

बॉबी आर्ट इंटरनेशनल और अन्य बनाम। ओम पाल सिंह हूं और

अन्य, जिन्हें "बैंडिट क्वीन केस" के नाम से जाना जाता है। अदालत ने कहानी का विश्लेषण किया, लड़की द्वारा सामना किए गए अपमान, उसके द्वारा सामना की गई पीड़ा और अंततः, निर्दोष महिला एक खूंखार डकैत बन गई और कहा कि कहानी की सराहना करने के लिए, चित्रित व्यक्ति के चरित्र को देखा जाना चाहिए। उस संदर्भ में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 27. सबसे पहले, वह दृश्य जहां उसे अपमानित किया जाता है, निर्वस्त्र किया जाता है, परेड किया जाता है, एक सौ पुरुषों के घेरे के भीतर कुएं से पानी निकालने के लिए बनाया जाता है। उसके स्तनों और जननांगों को उन पुरुषों के संपर्क में लाने का इरादा उन लोगों का है जो उसे नीचा दिखाने के लिए उसके कपड़े उतारते हैं। उस पर ऐसा करने का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृश्य दिखाने से बेहतर शायद ही व्यक्त किया जा सकता था। ऐसा करने का उद्देश्य सिनेमा देखने वाले की वासना को धूमिल करना नहीं था, बल्कि पीड़ित के प्रति सहानुभूति और अपराधियों के प्रति घृणा जगाना था। न्यायाधिकरण ने जिस तिरस्कार का उल्लेख किया, वह फूलन देवी की नग्नता पर नहीं था, बल्कि उन लोगों की क्रूरता और हृदयहीनता पर था जिन्होंने उसकी गरिमा के हर टुकड़े को छीनने के लिए उसे निर्वस्त्र कर दिया था। नग्नता हमेशा मूल प्रवृत्ति को नहीं जगाती है। न्यायाधिकरण द्वारा फिल्म 'शिंडलर्स लिस्ट' का संदर्भ उपयुक्त था। इसमें नग्न पुरुषों और महिलाओं की पंक्तियों का एक दृश्य है, जिसे सामने दिखाया गया है, जिसे नाजी यातना शिविर के गैस कक्षों में ले जाया जा रहा है। न केवल वे मरने वाले हैं, बल्कि उनके अंतिम क्षणों में वे मनुष्यों की बुनियादी गरिमा से वंचित हो गए हैं। आँसू एक संभावित प्रतिक्रिया है; दया, भय और एक साथी-शर्म की भावना निश्चित है, सिवाय उस विकृत व्यक्ति के जो उत्तेजित हो सकता है। हम विकृत लोगों की रक्षा करने या अति संवेदनशील लोगों की संवेदनशीलता को शांत करने के लिए सेंसर नहीं करते हैं।

' 'बैंडिट क्वीन' एक शक्तिशाली मानव कहानी बताती है और उस कहानी में फूलन देवी की नग्न परेड का दृश्य मुख्य है। यह मदद करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह समझाने के लिए कि फूलन देवी ने जो किया वह क्यों बन गईः उस समाज के खिलाफ उसका गुस्सा और प्रतिशोध जिसने उस पर अपमान किया था।

उपरोक्त, जैसा कि स्पष्ट है, नायक द्वारा झेली गई पीड़ा और यातना और दृश्यों के चित्रण की प्रकृति की सराहना करता है।

सेल्युलॉइड और एक विकृत दर्शक की संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित नहीं होने के सिद्धांत को निर्धारित करता है। समझाने के सिद्धांत का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विचार को विकृत विचारक या दर्शक के विचारों और धारणाओं के अनुरूप बनाया जा सके। इसी तरह, एक पुस्तक को पढ़ते समय, चरित्र और उद्देश्य के तत्वों का गठन करने वाले घटकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 31. इस संदर्भ में, वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य में व्यक्त विचार का संदर्भ v. भारत संघ और अन्य

उचित होगा। उक्त मामले में, चुनौती फिल्म 'पद्मावत' के प्रदर्शन के लिए चार राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की थी। न्यायालय ने इस आधार पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया कि सिनेमा के माध्यम से एक विचार की अभिव्यक्ति, जो एक लोकप्रिय माध्यम है, का अपना दर्जा है और कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यदि बौद्धिक कौशल और सृजन की प्राकृतिक या संवर्धित शक्ति को कानून के अनुमेय पहलू के बिना बाधित किया जाता है, तो रचनात्मकता की अवधारणा विलुप्त होने का मार्ग प्रशस्त करेगी; और कब

रचनात्मकता मर जाती है, सभ्यता के मूल्य नष्ट हो जाते हैं। न्यायालय ने उक्त संदर्भ में नचिकेता वल्हेकर बनाम में एक आदेश के अंश को पुनः प्रस्तुत किया। केंद्रीय

फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो निम्नानुसार हैः

" चाहे वह उल्लेखनीय हो, एक फिल्म या एक नाटक या एक उपन्यास या एक पुस्तक कला की रचना है। एक कलाकार को खुद को इस तरह से व्यक्त करने की अपनी स्वतंत्रता होती है जो कानून में निषिद्ध नहीं है और इस तरह के प्रतिबंधों को अभिव्यक्तिपूर्ण मन के अधिकारों को सूली पर चढ़ाने के लिए निहितार्थ से नहीं पढ़ा जाता है। इंसान। इतिहास रिकॉर्ड करता है कि कई लेखक हैं जो अपनी बात व्यक्त करते हैं

उनके शब्दों, वाक्यांशों के चयन के अनुसार विचार,

अभिव्यक्तियाँ और ऐसे पात्र भी बनाएँ जो एक आम आदमी की कल्पना से बिल्कुल अलग दिख सकते हैं। एक विचारोत्तेजक फिल्म का यह मतलब कभी नहीं होना चाहिए कि यह उपदेशात्मक या किसी भी तरह से शुद्धतावादी होनी चाहिए। यह अभिव्यंजक और उत्तेजक हो सकता है दर्शक के सचेत या अवचेतन विचार। यदि कोई सीमा होनी है, तो वह पर्चे के अनुसार होनी चाहिए।

कानून "।

5 (2018) 1 एस. सी. सी. 761

6 (2018) 1 एस. सी. सी. 778 एन. राधाकृष्णन @राधाकृष्णन वारेनिकल बनाम। भारत संघ [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

फीचर फिल्म, जिसमें एक विशेष के संबंध में एक धारणा शामिल थी स्थिति, उस मुकदमे को प्रभावित करेगी जिसमें याचिकाकर्ता, सोसायटी या अपीलीय न्यायालय के "त्रुटि क्षेत्राधिकार" का प्रयोग शामिल है। इस न्यायालय ने उक्त तर्क को नकार दिया और फैसला सुनाया कि कानून की अदालतें अभिलेख पर लाई गई सामग्री के आधार पर निर्णय लेती हैं, न कि कल्पना के आधार पर जैसा कि थिएटर की भाषा में या सेल्युलॉइड पर एक स्क्रिप्ट में पेश किया गया है। न्यायालय ने इस प्रकार राय दीः

दृश्य रूप से वाक्पटु और दूसरा अर्ध मेलोड्रामैटिक दृष्टिकोण की विधि का उपयोग कर सकता है जिसका प्रभाव पड़ेगा। वह व्यक्ति है विचार और दृष्टिकोण जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है।

और फिर सेः

" ..... उप-न्याय के सिद्धांत को इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता है कि किसी समाज के सदस्य के लिए किसी प्रकार का संदर्भ या संकेत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन सुनिश्चित करे जो संविधान के तहत निहित एक अत्यंत पोषित अधिकार है। जिस क्षण बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो जाता है, न केवल अधिकार बल्कि अधिकार रखने वाला व्यक्ति भी अर्ध-कोमा में चला जाता है। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि उक्त अधिकार निरपेक्ष नहीं है, बल्कि कोई प्रतिबंध लगाया गया है।

उस पर बेहद संकीर्ण और उचित मापदंडों के भीतर होना चाहिए। हाथ में मामले में, हम यह सोचने के लिए बाध्य हैं कि

सी. बी. एफ. सी. द्वारा प्रमाण पत्र का अनुदान, के साथ परामर्श के बाद सेना के अधिकारियों को सदस्यों या समाज की किसी भी आशंका को दूर करना चाहिए।

33. यह एक खतरनाक स्थिति की शुरुआत करेगा, अगर संवैधानिक अदालतें, अपमानजनक से संबंधित किसी आरोप के लिए या उसके आधार पर पूछती हैं।

प्रभाव, स्वतंत्र भाषण, अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और कल्पना में बाधा डालना। यह साहित्यिक स्वतंत्रता के बौद्धिक दमन की स्थिति की ओर ले जाएगा। जब हम ऐसा कहते हैं, तो हम इस तथ्य पर पूरी तरह से जीवित हैं कि उक्त अधिकार निरपेक्ष नहीं है, लेकिन उस पर लगाया गया कोई भी प्रतिबंध अत्यंत संकीर्ण और संविधान के अनुच्छेद 19 (2) द्वारा चित्रित उचित मापदंडों के भीतर होना चाहिए। यहाँ, हम खुद को प्रयुक्त अभिव्यक्ति की याद दिला सकते हैं

7 2018 (4) स्केल 390 [2018] 11 एससीआर

जॉर्ज ऑरवेल द्वारा। यह स्वतंत्र सोच और बौद्धिक कायरता है। रचनात्मक लेखन बौद्धिक कायरता और बौद्धिक तिरस्कार के विपरीत है।

34. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, उपन्यास की सामग्री और उपयोग की गई भाषा के संबंध में उठाई गई आपत्तियां

संवाद में प्रतिबिंबित जैसा कि यहाँ पहले पुनः प्रस्तुत किया गया है, तय किया जाना है। शिकायत, जैसा कि प्रतिबिंबित है, महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणियों से संबंधित है, खासकर जब वे मंदिर जाती हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह देखना न्यायालय का कर्तव्य है कि क्या इस तरह की बातचीत किसी भी प्रकार की कामुक स्थिति को जन्म देने या उन्हें अपमानित करने के लिए किसी वर्ग के प्रक्षेपण के लिए रची गई थी। एक रचनात्मक कार्य को एक परिपक्व भावना, दृष्टिकोण की कैथोलिकता, वस्तुनिष्ठ सहिष्णुता और वास्तविकता पर आधारित स्वीकार्यता की भावना के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अलग तरह से प्रस्तुत की जाती है, लेकिन विकृति के जुनूनी विचार के साथ नहीं जो किसी को तुरंत उपदेशवाद के जुनून या उस मामले के लिए, शुद्धतावादी दृष्टिकोण की धारणा से जोड़ती है। एक पाठक में स्थिति को समझने और चरित्र की सराहना करने की संवेदनशीलता होनी चाहिए और यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि जो कुछ भी लिखा गया है वह खराब स्वाद में है और जानबूझकर युवा दिमागों को प्रदूषित करने के लिए किया गया है। इसके विपरीत, उसे लेखक के साथ सह-वक्ता के रूप में खुद को ऊपर उठाना चाहिए जैसे कि कोई सामाजिक संबंध और बौद्धिक जुड़ाव हो। विकृत भावना

न्याय करना छोड़ दिया जाना चाहिए। एक रचनात्मक लेखन सहानुभूतिपूर्ण पढ़ने की अपेक्षा करता है। यह आलोचना के खिलाफ नहीं है लेकिन निश्चित रूप से अनुचित विरोध को बर्दाश्त नहीं करता है। "वुथरिंग हाइट्स" के लेखक को उम्मीद है कि पाठक "हीथक्लिफ" के चरित्र को घेरने वाली रुग्णता की सराहना करेंगे। इसी तरह, "नाला दमयंती" के महान कवि ने पाठकों से इच्छा की कि वे राजकुमारी की सुंदरता के वर्णन का आनंद लें, जो कथा की सराहना करते हैं, लेकिन विकृत सोच में शामिल न हों।

35. चरित्र की विशेषताओं और कहानी में बुने गए कथानकों और उप-कथानकों को समझना और उनकी सराहना करनी होती है। मीशा का चरित्र, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, असंख्य को दर्शाता है

विभिन्न स्थितियों के साथ अनुभव। जैसा कि हम पाते हैं, स्थितियों को कुछ उप-भूखंडों के रूप में माना जा सकता है जो मौलिक के आसपास विकसित हुए हैं।

नायक की विशेषताएँ। ऐसा लगता है कि कुछ लेखकों द्वारा अपनाए गए चरित्र की स्थिरता के सिद्धांत को कथा में बनाए रखा गया है। परिस्थितिसभ आ स्थितिसभक व्यवहार अलग-अलग भऽ सकैत अछि मुदा नायकक मूल प्रतिक्रिया अपरिवर्तित रहैत अछि। हम कहते हैं कि ये सभी एक पाठक के दृष्टिकोण से हो सकते हैं। एक अन्य पाठक के लिए, यह प्रतीत हो सकता है कि उप-कथानकों को नायक को आकर्षित करने और श्रृंखला एन. राधाकृष्णन @राधाकृष्णन वारेनिकल बनाम को उजागर करने के लिए आकर्षक स्थितियों में लाने के लिए उत्साहपूर्वक नियोजित किया गया है।

वास्तविक "। एक विकृत पाठक शालीनता या नैतिकता की अनुपस्थिति या अश्लीलता की उपस्थिति की कल्पना कर सकता है लेकिन वे वास्तव में अदृश्य हैं। 37. अगर इस तरह के आरोपों पर किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो कोई रचनात्मकता नहीं हो सकती। संवैधानिक अदालतों द्वारा इस तरह के हस्तक्षेप से कला की मृत्यु हो जाएगी। यह सच है कि एक लेखक द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, लेकिन कोई प्रतिबंध लगाने से पहले, न्यायालय का कर्तव्य यह देखना है कि क्या वास्तव में कुछ ऐसा है जो संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के दायरे में आता है। उस समय, न्यायालय को याद रखना चाहिए कि एस. रंगराजन बनाम में क्या कहा गया है। पी. जगजीवन राम और अन्य जिसमें, अनुच्छेद 19 (2) की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने स्पष्ट और वर्तमान खतरे के अमेरिकी परीक्षण से उधार लिया और कहाः

" 45. ..... अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हमारी प्रतिबद्धता की मांग है कि इसे तब तक दबाया नहीं जा सकता जब तक कि 8 (1989) 2 एस. सी. सी. 574 [2018] 11 एस. सी. आर. को अनुमति देने से पैदा हुई परिस्थितियाँ न हों।

खतरे में है। प्रत्याशित खतरा दूरगामी, अनुमानित या दूरगामी नहीं होना चाहिए। इसका अभिव्यक्ति के साथ निकटवर्ती और सीधा संबंध होना चाहिए। विचार की अभिव्यक्ति जनहित के लिए स्वाभाविक रूप से खतरनाक होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, अभिव्यक्ति को क्रिया के साथ अविभाज्य रूप से बंद किया जाना चाहिए। "एक
पावर केग में चिंगारी" के बराबर माना जाता है।

39. उपरोक्त के अलावा, ब्रह्मांड के बारे में रचनात्मकता और लेखक की धारणा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सच क्या है कविता उपन्यास या किसी भी रचनात्मक लेखन पर लागू होती है। यह ध्यान में रखना होगा कि एक लेखक की कल्पना को स्वतंत्रता का आनंद लेना है।

इसे विशिष्टताओं के आगे झुकने के लिए नहीं कहा जा सकता है। यह समान होगा

लागू करना। एक लेखक को शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से खेलना चाहिए, जैसे एक चित्रकार के पास रंगों के साथ होता है। कल्पना के जुनून को निर्देशित नहीं किया जा सकता है। यह सच है कि अंतिम प्रकाशन कानून के विपरीत नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून की कठोरता के अनुप्रयोग को उन विभिन्न पहलुओं के लिए भी जीवित रहना होगा जिन्हें न्यायालय के अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया गया है। एक लेखक की शिल्प कौशल वस्तुनिष्ठ बोध की अवधारणा को स्वीकार करके सम्मान की पात्र है।

40. यह याद रखना चाहिए कि अंततः, महान लेखक और विचारक वोल्टेयर ने जो कहा था, "आप जो कह रहे हैं, मैं उसे अस्वीकार कर सकता हूं।

कहें, लेकिन जब कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है तो मैं इसे कहने के आपके अधिकार की मृत्यु तक रक्षा करूंगा जो मार्गदर्शन के लिए लेजर बीम बन जाता है। 41. उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, योग्यता से रहित होने के कारण रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

निधि जैन

लिखित
याचिका खारिज की गई।